THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The Ministry of Health & Family Welfare is implementing a Central Scheme for development and cultivation of medicinal plants under which Central assistance is provided to Government/Semi Government Organiszation/ Autonomous bodies Statutory organizations etc., for establishment of herbal farms for cultivation of scarce and identified medicinal plants required by the Indian Systems of Medicines and Homeopathy drug industry in the country. The institutions eligible to seek grant under the scheme should have the basic infrastructure and adequate technical knowhow. A copy of the Scheme is enclosed as Annexure. [See Appendix 171, Annexuse No. 66]

(b) and (c) Prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980, is required for diversion of forest land for any non foresty uses, including for cultivation of herbal plants or setting up of herbal parks or for assignment of forest land to any private entrepreneurs or organizations not wholly owned, controlled or managed by the Government. For this purpose, formal proposals are required to be sent by the concerned State Govts./UT Administrations in the prescribed proforma along with required details. A decision on such proposals is taken after careful consideration of all the relevant information in conformity with Forest (Conservation) Rules, 1981, and detailed guideline's issued under the Act

Ban on Manufacture of Benzidine Benzidine Based Dyes in Gujarat

3834. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to State:

(a) whether it is a fact that despite ban on manufacture of benzidine, benzidine based dyes these are continued to be manufactured beyond the date of the ban i.e. 30th January, 1993 by various manufacturers particularly in Gujarat; and

(b) if so, the steps being taken by Government to strictly enforce this ban throughout the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) According to the information supplied by the Gujarat Pollution Control Board, there are 43 Units engaged in the State of Gujarat in the manufacture and use of benzidine and benzidinebased dyes. Out of these, 12 units are involved in the manufacture of benzidine while 31 unite are utilising benzidine as raw material for the manufacture of dyes. All the above units have been directed by the Gujarat Pollution Control Board to stop manufacture and use of benzidine and benzidine base dyes. Similar directions have been issued by the Central Government to all the States.

चेरापूंजी में पानी की कमी

3835. **श्री सोमपाल:**
श्री अनन्तराम जायसवाल:
श्री शारदा महन्ती:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान चेरापूंजी में पानी की अत्यधिक कमी के संबंध में दिनांक 6 जुलाई, 1994 के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व में अधिकतम वर्षा के लिए पहचाने जाने वाले ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के इस स्थान में पेड़ों की अंधाधुन्ध कटाई के कारण भूमि के कटाव, वर्षा की कमी और पर्यावरणीय अपक्षीणन के कारण न केवल पानी की कमी हो गई है बल्कि इस पूर्ण भूभाग का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कुछ तात्कालिक और आपातकालीन उपाय करना आवश्यक नहीं समझती;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई लाक्ष्योन्मुखी समयबद्ध योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है

कि चेरापूंजी के अन्दरूनी और आसपास के क्षेत्र जहां अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यंत अल्प जल अवधारक क्षमता वाले अत्यधिक अवक्रमित क्षेत्र हैं। अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक अनावृत्त हैं और मानसून के दौरान होने वाली वर्षा धारा के रूप में बह जाती है फलस्वरूप बहुत ही कम पानी जमीन में रुक पाता है। चेरापूंजी के अन्दरूनी और आसपास के क्षेत्र स्वायत्तशासी जिला परिषद अथवा निजी व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन हैं। इस क्षेत्र के आसपास राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कोई वन क्षेत्र नहीं है।

मेघालय राज्य सरकार ने बताया है कि जिला परिषदों और अलगअलग व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित वन क्षेत्र में झूम खेती किए जाने के अलावा इस क्षेत्र में अवैज्ञानिक, अनियंत्रित और भारी वन नाशन हो रहा है। चेरापूंजी के मामले मे यह अवक्रमण वहां की स्थलाकृति एवं वहां होने वाली भारी वर्षा (10001500 सें.मी. प्रति वर्ष) के कारण और भी बढ़ जाता है। इससे ऊपरी भूमि आवरण बह जाता है जिससे उस क्षेत्र की पुन: उत्पत्ति क्षमता और उत्पादकता को क्षति पहुंचती है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रश्नगत क्षेत्र एक दुर्गम भूभाग है और वहां पर मृदा आवरण बहुत कम गहरा है, इसमें पौधरोपण करना एक अत्यंत कठिन कार्य है तथापि, बंजर भूमियों को हरा भरा बनाने और अवक्रमित वनस्पतियों आदि में सुधार करने के लिए मेघालय वन विभाग के सामाजिक वानिकी खंड की स्थापना की गई है। प्रतिनियुक्ति पर तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध कराके और वन उगाने, उनके अनुरक्ष और सुरक्षा हेतु सहायता अनुदान प्रदान करके वनीकरण की गतिविधियों में जिला परिषदों को भी शामिल किया गया है।

हिन्दुकुश पर्वत पर गोष्ठी

3836. श्री सोमपाल:
श्री अनन्तराम जायसवाल:
श्री शारदा महन्ती:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1994 के "इंडियन एक्सप्रैस" में हिन्दुकुश पर्वत की पारिस्थितिकी को सुधारने और इस पर्वत को नष्ट होने से बचाने की आवश्यकता पर दो दिवसीय गोष्ठी के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में उठाए गए मुद्दों और सुझाए गए निदानात्मक उपायों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां। हिमालय पर्यावरण न्यास द्वारा 2728 जून, 1994 को नई दिल्ली में हिमालय संरक्षण कार्यक्रम, सरकार जनता की भागीदारी पर एक दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया था।

(ख) सेमिनार में, प्रतिभागिओं ने विचार व्यक्त किए कि सरकारों और जनता को शामिल करके हिमालय क्षेत्र में संरक्षण उपाय शुरू करने की आवश्यकता है। पर्वतारोहियों, पैदल यात्रियों तथा उत्साही दौरों और उनसे संबंधित कार्यों में लगे लोगों द्वारा हिमालय के अद्वितीय पर्यावरण और एशियाई समूह की सुरक्षा के लिए यूनियन इण्टरनेशनल अल्पाइन एसोसिएशन द्वारा अपनाए गए "दि हिमालयन कोड आफ कण्डक्ट" को लोकप्रिय बनाने पर भी चर्चा की गई।

(ग) सेमिनार में चर्चा किए गए मुद्दे सरकार के ध्यान में हैं। गंगोत्री संरक्षा परियोजना जिसको हिमालयी पर्यावरण न्यास द्वारा प्रायोजित किया गया और पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई, में शौचालयों के निर्माण, कूड़ादानों, इनसीनेटरों की व्यवस्था करने तथा क्षेत्र को साफ रखने के लिए जनजागरूकता पैदा करने जैसी गतिविधियों के जरिये पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की कल्पना की गई।

केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रदू...

3837. श्री सोमपाल:
श्री अनन्तराम जायसवाल:
श्री शारदा महन्ती:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जून, 1994 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत सरकार के महासागर विकास विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि केरल का समुद्र तट भारत का सर्वाधिक प्रदूषित समुद्र तट है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?